



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 393 राँची, बुधवार,

26 अगस्त, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या :-11/बंदी विविध-07/2019- 2986-- केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1	पानी कुई उर्फ मेजो कुई, पति- बुधराम लागुरी, उम्र-71 वर्ष लगभग (वृद्ध),	ग्राम लिसिमती टोला नाकाहासा, थाना-टोन्टो, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	सत्रवाद संख्या-72/02, जी०आर०- 01/02, टोन्टा थाना काण्ड सं०-31/01, धारा-302, 34 भा०द०वि०
2	बिमला देवी, पति- सुरेश साव, उम्र-44 वर्ष लगभग,	ग्राम-खडौली थाना-गुठनी जिला-सिवान (बिहार)	सत्रवाद संख्या- 37/04, जी०आर०- 482/03, मुफ्फसिल थाना काण्ड सं०-128/03, धारा-302,भा०द०वि०

3	विगती कुई उर्फ डिगली लागुरी, पति-महावीर लागुरी उम-41	निसीमोती, टोला-नाकाहासा, थाना-टोन्टो, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	सत्रवाद संख्या- 72/02, जी०आर०- 01/02, टोन्टा थाना काण्ड सं०- 31/01, धारा-302, 34 भा०द०वि०
4	सनिका टोपनो पे०-स्व० भदवा टोपनो उम-51 वर्ष,	ग्राम- लोविन्दपुर, थाना- मनोहरपुर (आनन्दपुर) जिला- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	सत्रवाद संख्या- 216/02, जी०आर०- 189/02, मनोहरपुर (आनन्दपुर) थाना काण्ड सं०-32/02, धारा-302, 448 भा०द०वि०
5	सुनील सिंक्, पे०-सागर सिंक्, उम-38 वर्ष लगभग,	ग्राम-मोंगरा, थाना-जगरनाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	सत्रवाद संख्या- 152/05, जी०आर०- 176/05, जगरनाथपुर थाना काण्ड सं०-17/05 धारा-302, भा०द०वि०

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
